न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 237/2019 जीसीएमएस संख्या 2019/00093

1. हिम्मत पुत्र श्री रामबीरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान।
2. राजपाल पुत्र श्री साधूसिंह पौत्र श्री रामपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
3. पुष्पेन्द्र पुत्र श्री साधूसिंह पौत्र श्री रामपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलांट्स

बनाम

1. संतरादेवी पुत्री श्री रामपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान

—असल रेस्पाडेन्ट

2. सुन्दर,
3. शशि पुत्रान श्री रामबीरसिंह,
4. लता,
5. सुपा,
6. मन्जू
7. सरोज पुत्रीयान रामबीरसिंह,
8. रामौतारसिंह पुत्रान श्री रामपालसिंह,
9. रामरति बेवा श्री साधूसिंह पुत्र श्री रामपालसिंह,
10. जितेन्द्र पुत्र श्री साधूसिंह पौत्र श्री रामपालसिंह जातियान राजपूत निवासीयान ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान
11. प्रेमदेवी पुत्री श्री रामपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा हाल पत्नि श्री उदयसिंह निवासी नानू तहसील पटौदी जिला गुरुग्राम हरियाणा,
12. सुपार देवी पुत्री श्री रामपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा हाल पंत्नि श्री जगदीशसिंह निवासी राजनौता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान,
13. सतीश सिंह उर्फ ओमपाल पुत्र मगनदेवी पुत्री श्री रामपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा हाल पत्नि श्री केरसिंह निवासी नानू तहसील पटौदी जिला गुरूग्राम हरियाणा,
14. दुर्गपालसिंह पुत्र मगनदेवी पुत्री श्री रामपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा हाल पत्नि श्री केरसिंह निवासी नानू तहसील पटौदी जिला गुरुग्राम हरियाणा,
15. संतोष देवी पुत्री मगनदेवी पुत्री श्री रामपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा हाल पत्नि श्री केरसिंह निवासी नानू तहसील पटौदी जिला गुरूग्राम हरियाणा,
16. सुषमा देवी पुत्री मगनदेवी पुत्री श्री रामपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा हाल पत्नि श्री केरसिंह निवासी नानू तहसील पटौदी जिला गुरूग्राम हरियाणा,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

17. विद्या देवी पुत्री मगनदेवी पुत्री श्री रामपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा हाल पनि श्री केरसिंह निवासी नानू तहसील पटौदी जिला गुरुग्राम हरियाणा,
18. जयपाल पुत्र किशोर देवी पुत्री श्री रामपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा हाल पत्नि श्री मातादीनसिंह निवासी ढाणी राजनौता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान,
19. भवानीसिंह पुत्र किशोर देवी पुत्री श्री रामपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा हाल पत्नि श्री मातादीनसिंह निवासी ढाणी राजनौता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान,
20. कौशल्या पुत्री किशोर देवी पुत्री श्री रामपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा हाल पत्नि श्री मातादीनसिंह निवासी ढाणी राजनौता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

–तरतीबी रैस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.08.2019प्रकरण संख्या 04/2017 न्यायालय तहसीलदार नीमराना जिला (अलवर) राजस्थान।

उपस्थित–

1. श्री राकेश कुमार पारीकवकील अपीलान्ट
2. श्री मुकेश कुमार सोनी वकील रेस्पो0 1 की ओर से।
3. श्री सुनील कुमार शर्मा वकील रेस्पो0 2 की ओर से।
4. श्री इन्द्रसिंह शेखावत वकील रेस्पो0 14, 15, 17 से 21 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –25.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार नीमराना जिला अलवर राजस्थान के निर्णय दिनांक 20.08.2019 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. यह कि संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना जिला अलवर में दर्ज आराजी के मृतक खातेदार श्री रामपालसिंह पुत्र श्री मकतूलसिंह की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 5 दिनांक 28.11.1987 ग्राम पंचायत गूगलकोटा द्वारा भरा गया जो कि उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा निरस्त कर तहसीलदार नीमराना को वारिसान की जॉचकर बाद सुनवाई नियमानुसार अमल दरामद हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया। जिस पर तहसीलदार नीमराना द्वारा विधिक वारिसान रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थीया संतरा देवी के साथ अन्य वारिसान् के नाम अमल करने के आदेश दिनांक 20.08.2019 को दिये गये।

3. तहसीलदार नीमराना जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 20.08.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट हिम्मत पुत्र श्री रामबीरसिंह वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार नीमराना जिला अलवर के निर्णय दिनांक 20.08.2019 निरस्त कर नामा0 संख्या 5 दिनांक 28.11.1987 को बहाल किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना जिला अलवर में दर्ज आराजी के मृतक खातेदार श्री रामपालसिंह पुत्र श्री मकतूलसिंह की विरासत का नामान्तकरण संख्या 5 दिनांक 28–11–1987 को ग्राम पंचायत गूगलकोटा द्वारा उसके जायज वारिस काबिज जायदाद पुत्रान साधूसिंह, शिम्भूसिंह, रामबीरसिंह, रामौतारसिंह पुत्रान श्री रामपालसिंह के हक में विधिवत् तस्दीक किया गया। जिसकी अपील असल रैस्पाडेन्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड के समक्ष पेश की गई। जिस पर उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा दिनांक 15–10–2013 को अपील स्वीकार कर प्रकरण को वास्ते सुनवाई एंव निर्णय तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया गया। निर्णय दिनांक 15–10–2013 के खिलाफ अपीलान्टस व तरतीबी रैस्पाडेन्टस द्वारा द्वितीय राजस्व अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर राजस्थान के समक्ष एवं निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश की गई है, जो निगरानी विचाराधीन है। इस दौरान तहत न्यायालय तहसीलदार नीमराना जिला अलवर राजस्थान द्वारा उक्त रिमाण्ड आदेश दिनांक 15–10–2013 की पालना में सुनवाई कर आलोच्य निर्णय दिनांक 20–08–2019 को पारित किया गया है। ग्राम पंचायत के निर्णय के विरूद्ध असल रेस्पाडेन्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी बहरोड के समक्ष मियाद बाहर पेश की गई, तथा मियाद के सम्बन्ध में दिन प्रतिदिन की देरी का कोई युक्तियुक्त कारण साक्ष्य सहित विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानो के अनुसार अंकित नही किया गया। परन्तु अपीलीय तहत अदालत ने गौर नही किया और विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानो के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, निर्णय दिनांक 15–10–2013 को पारित किया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा दिनांक 15–10–2013 को अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पाडेन्टस के खिलाफ इकतर्फा में बिना कोई विधिवत सूचना दिये, पारित किया गया है। इसलिए इसकी पालना में न्यायालय तहसीलदार नीमराना जिला अलवर का अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त वारिसान अपने जीवनकाल तक अपने पिता की विरासत से प्राप्त आराजी पर काबिज रहे, और रामबीरसिंह, शिम्भूसिंह व साधूसिंह के स्वर्गवास उपरान्त वर्तमान में अपीलान्टस व तरतीबी रेस्पाडेन्टस मौके पर अपने अपने हिस्सानुसार काबिज चले आ रह है। असल रैस्पाडेन्ट मृतक रामपालसिंह की पुत्री अवश्य हैं। लेकिन तत्कालीन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक की वारिस काबिज जायदाद नही है। नामान्तकरण संख्या 5 दिनांक 28–11–1987 को तस्दीक करते समय पिता की सम्पत्ति में पुत्रीयों का कोई हक कानूनन नही बनता था। इसलिए असल रैस्पाडेन्ट को उक्त इंतकाल के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का नैतिक एंव विधिक अधिकार प्राप्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार नीमराना जिला अलवर दिनांक 20.08.2019 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना जिला अलवर में दर्ज आराजी के मृतक खातेदार श्री रामपालसिंह पुत्र श्री मकतूलसिंह की विरासत का नामान्तकरण संख्या 5 दिनांक 28–11–1987 को ग्राम पंचायत गूगलकोटा द्वारा बिना कब्जे की जॉच किये केवल पुत्रान साधूसिंह, शिम्भूसिंह, रामबीरसिंह, रामौतारसिंह पुत्रान श्री रामपालसिंह के हक में तस्दीक किया गया जबकि प्रार्थीया मृतक खातेदार की प्रथम श्रेणी विधिक वारिस है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत् पिता की सम्पति में पुत्री को पुत्रों के समान रूप से अधिकार दिये गये हैं। जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा विधिवत् तथ्यों की जॉच उपरान्त हिन्दू उत्तराधिकार

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार रेस्पो संख्या 1 व अन्य को रामपाल सिंह का वारिस मानते हुये अपील स्वीकार करने के आदेश दिये गये। जिसकी अपील अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा खारिज फरमा दी गई। जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। अपीलांट मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है। अपीलांट द्वारा महज रेस्पो0 संख्या 1 को हैरान–परेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2019 उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार रामपालसिंह पुत्र श्री मकतूलसिंह की विरासत को लेकर है। तहसीलदार नीमराना एवं पटवारी हल्का गूगलकोटा की रिपोर्ट जिसमे रेस्पो0 संख्या 1 को विधिक वारिसान माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार पुत्री को प्रथम श्रेणी का वारिस मानते हुये ही प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पो0 संख्या 1 के साथ अन्य वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिये हैं। ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपीलाधीन आदेश तहसीलदार नीमराना जिला अलवर उचित एवं विधिसम्मत है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमराना जिला अलवर का निर्णय दिनांक 20.08.2019 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।